कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 178/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 29.05.2025 को ***थाना तरवां पुलिस द्वारा 24 घण्टें के अन्दर 50 वर्षीय महिला की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, मोबाइल व नकदी बरामद*** **किया गया।**

थाना-तरवां

24 घण्टे के अन्दर 50 वर्षीय महिला की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त पकड़े गये।

घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, 01 मोबाइल व नकदी बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.05.25 को वादी अगस्त शाण्डिल्य त्रिपाठी पुत्र स्व0 बृजमोहन त्रिपाठी निवासी किशुनदासपुर, थाना तरवां आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी एक होमगार्ड विभाग में थाना तरवां पर सेवारत है, प्रतिदिन के भांति दिनांक 27/28.05.2025 की रात्रि ड्यूटी पर गया था, ड्यूटी के पश्चात वादी घर लौटा तो घर पर वादी की पत्नी श्रीमती रामदुलारी त्रिपाठी जो घर पर अकेली थी, काफी बुलाने के पश्चात जब दरवाजा नहीं खुला तो आस-पास के लोगों से मदद लेकर छत पर जाकर देखा गया तो वादी की पत्नी लहुलुहान पड़ी हुई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, के सम्बन्ध में थाना तरवां पर मु0अ0स0 137/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त घटना स्थल का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सीओ लालगंज आदि पुलिस फोर्स द्वारा किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा उक्त हत्या की घटना का सफल अनावरण हेतु थाना प्रभारी तरवां को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 29.05.2025 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त/ बालअपचारी 1.बाल अपचारी 2. संजय वर्मा पुत्र अजय वर्मा निवासीगण गोड़हरा थाना बरदह जिला आजमगढ़ को समय करीब 14.00 बजे जियापुरा गेट थाना तरवां के पास से पकड़ा गया है जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नं0 HF DILUXE व REALME MOBILE व 450 रु0 बरामद किया गया है।

पूछताछ का विवरणः-

पकड़े गये बाल अपचारी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं मृतिका की लड़की को पसन्द करता था तथा लड़की शादी के लिए मान नहीं रही थी, घटना की रात्रि में मैंने मृतिका की लड़की को फोन करके मिलने के लिए कहा था, तब वह मना कर दी तथा फोन काट दी । मैं अपने दोस्त संजय वर्मा के साथ मिलकर सबक सिखाने के लिए अपने भाई की मो0सा0 से लड़की के घर रात्रि में पहुंचा, तब देखा कि घर का दरवाजा अन्दर से बन्द है, तब मैं और मेरा दोस्त लड़की के घर के बगल वाली कोली से दीवार में लगी ईंट जो सीढ़ी नुमा थोड़ा-थोड़ा दीवार में निकली थी, जिसके सहारे हम लोग छत पर चढ़ गये । छत पर जाकर देखे तो लड़की की मां मच्छरदानी में सो रही थी । मैंने उसकी मां को धीरे से जगाकर लड़की के बारे में पूछा तो वह चिल्लाने लगी, तो मैंने उसे चुप कराने के लिए उसका मुंह दबा दिया, तो लड़की की मां ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे कई जगह अपने नाखून से खरोच दी मैं गुस्से में आकर पास मे ही पड़े सिल बट्टे के लोढ़ा से सिर पर कई बार वार कर दिया। थोड़ी देर बाद लड़की की मां के शरीर में हलचल बन्द हो गयी, तब हम लोग उसी तरीके से छत से वापस उतर कर अपनी उसी मोटर साइकिल से फरार हो गये।

पंजीकृत अभियोग:-

1. **मु0अ0सं0 137/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़**

गिरफ्तार अभियुक्त/पुलिस अभिरक्षा-

1- संजय वर्मा पुत्र अजय वर्मा निवासी गोड़हरा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. बाल अपचारी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास- (बाल अपचारी)

1. **मु0अ0सं0** 56/2024**धारा** 504,506 भादवि व 67 आईटी एक्ट **थाना तरवां जनपद आजमगढ़**

बरामदगी का विवरण:-

01. घटना में प्रयुक्त एक अदद मो0साई0 UP50CR3679
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल रीयलमी
3. 450 रु0 बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 मधुसुदन चौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़
4.का0 महेश यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
5. का0 विपिन यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
6. का0 सौरभ सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़